रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

98] नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 1975/ज्येष्ठ 12, 1897

98] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 1975/JYAISTHA 12, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd June 1975

No. F. 3(10)-NS/75.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Recurring Deposits) (Second Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970, in rule 11A,—

(1) in sub-rule (i) after the letters and figures "Rs. 10", the words, letters and figures "or Rs. 15 or Rs. 20", shall be inserted;

(2) for sub-rule (ii), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(ii) If a depositor or the surviving depositor, as the case may be, has more than one account of the denomination of Rs. 5, Rs. 10, Rs. 15 or Rs. 20, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of only one account which may be specified by the depositor or surviving depositor, as the case may be. Such depositor may change the option and specify another account if he so desires by an application to the Post Office where the account

stands registered. If no such account has been so specified b such depositor, the benefit of payment shall be admissible i respect of the earliest account of the denomination of Rs. 20, i any, which qualifies for payment and if there is no such accoun of the denomination of Rs. 20, then in respect of any one of th earliest account of the denomination of Rs. 15, Rs. 10 or Rs. which qualifies for payment."

सं० एफ० 3(10)-एन० एस०/75.—राष्ट्रपति ने डाकघर (आवर्ती जमा) नियमावली 1970 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाये हैं :—

1. (1) ये नियम डाकघर (आवर्ती जमा) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1975 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. डाकघर (आवर्ती जमा) नियमावली, 1970 के नियम 11क में :—

(1) उपनियम (i) में अक्षर और शब्द "10 रुपये" के स्थान पर "या 15 रुपये य. 20 रुपये" शब्द, अक्षर और अंक लिखे जाएँगे ।

(2) उपनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा :—

"(ii) यदि जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता के, जैसी भी स्थिति हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये अथवा 20 रुपये के एक से अधिक खाते हैं तो इस नियम के अन्तगत अदायगी केवल एक खाते पर हो सकेगी जिसका निर्देश जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, किया गया होगा । उक्त जमाकर्ता यदि चाहे तो उस डाकघर में आवेदन पत्र देकर, जहां खाता पंजीकृत किया गया हो, अपने बताये गये खाते के बजाय किसी दूसरे खाते का निर्देश कर सकता है । अगर जमाकर्ता द्वारा किसी खाते का निर्देश नहीं किया गया है तो अदायगी 20 रुपये वाले सबसे पहले खोले गये खाते पर, अगर ऐसा कोई खाता हो और जिसकी अदायगी होनी है, की जायगी लेकिन अगर 20 रुपये का कोई खाता न होतो, तो अदायगी 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के किसी एक खाते पर, जो सबसे पहले खोला गया हो और जिसकी अदायगी होनी हो, की जायगी ।"

No. F. 3(10)-NS/75(i).—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulativ Time Deposits) (Third Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Officia Gazette.

2. In the Post Office (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, in rule 10A,—

(1) in sub-rule (i) after the letters and figures "Rs. 10", the words, lette and figures "or Rs. 15 or Rs. 20", shall be inserted;

(2) for sub-rule (ii), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(ii) If a depositor or the surviving depositor, as the case may be, has more than one 5 year account of the denomination of Rs. 5, Rs. 10,

Rs. 15 or Rs. 20, the benefit of payment under this rule shall be available in respect of only one account which may be specified by the depositor or surviving depositor, as the case may be. Such depositor may change the option and specify another account if he so desires by an application to the Post Office where the account stands registered. If no such account has been so specified by such depositor, the benefit of payment shall be admissible in respect of the earliest account of the denomination of Rs. 20, if any, which qualifies for payment and if there is no such account of the denomination of Rs. 20, then in respect of any one of the earliest account of the denomination of Rs. 15, Rs. 10 or Rs. 5 which qualifies for payment."

K. N. ROW, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 2 जून, 1975

सं० एफ० 3(10)-एन० एस०/75(i).—राष्ट्रपति ने डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) नियमावली 1959 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाये हैं :—

1. (1) ये नियम डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1975 कहे जायेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. डाकघर (संचयी सावधि जमा) नियमावली, 1959 के नियम 10क में :—

(1) उपनियम (i) में अक्षर और शब्द "10 रुपये" के स्थान पर "या 15 रुपये या 20 रुपये" शब्द, अक्षर और अंक लिखे जायेंगे ।

(2) उपनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा :—

(ii) यदि जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी जमाकर्ता के, जसी भी स्थिति हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये अथवा 20 रुपये के एक से अधिक 5 वर्षीय खाते हैं तो इस नियम के अन्तर्गत अदायगी केवल एक खाते पर हो सकेगी जिसका निर्देश जमाकर्ता या उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, किया गया होगा । उक्त जमाकर्ता यदि चाहे तो उस डाकघर में आवेदन पत्र देकर, जहां खाता पंजीकृत किया गया हो, अपने बताये गये खाते के बजाय किसी दूसरे खाते का निर्देश कर सकता है । अगर जमाकर्ता द्वारा किसी खाते का निर्देश नहीं किया गया है तो अदायगी 20 रुपये वाले सबसे पहले खोले गये खाते पर, अगर ऐसा कोई खाता हो और जिसकी अदायगी होनी है, की जायगी लेकिन अगर 20 रुपये का कोई खाता न हो तो, तो अदायगी 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के किसी एक खाते पर, जो सबसे पहले खोला गया हो और जिसकी अदायगी होनी हो, की जायगी ।"

के० एन० राव, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975